कामकाजी महिला

वर्ष 5 अंक 3 फरवरी, 1993 मूल्य : 2 रु०

आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा ।
हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी ॥

22 जनवरी को साम्प्रदायिकता के खिलाफ राजधानी में महिलाओं की विशाल रैली का एक दृश्य ।

महिलाओं को घर पर रहना चाहिए—भाजपा

"महिलाओं को घर पर रहना चाहिए!" टिप्पणी है? अंदाज लगाएं! भारतीय जनता पार्टी! कारण बिल्कुल स्पष्ट है। उनका मानना है कि "जब महिलाएं बाहर आ जाती हैं, और सरकार उनके अधिकारों के बारे में कानून बनाती है तो परिवार टूटते हैं और तनाव पैदा होता है!" क्या यह सच नहीं है? हाँ, एक हद यह बात सही है। ऐसा होता है कि परिवारों में तनाव व बिखराव आता है, बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है खासतौर से इसलिए कि अब अधिक से अधिक केन्द्रीय परिवार बन रहे हैं। लेकिन यह आश्चर्यजनक बात है कि जब महिलाएं अपनी कम आय को बढ़ाने के लिए काम चाहती हैं या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए संविधान के तहत 'काम का अधिकार' पाना चाहती है तो भाजपा के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में कुछ और ही निर्देश देते हैं। सुनिए, 1990 में डा. नीरज शर्मा द्वारा संपादित सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में क्या कहा गया है। वह विशेष पैरा इस प्रकार है: "हाल तक महिलाएं संयुक्त परिवार की चारदीवारी में रहती थीं। अब जब महिलाएं बाहर जाती हैं तो वे परिवार पीछे छोड़ जाती हैं। महिलाओं की आजादी से परिवार में एक प्रकार का तनाव पैदा होता है और बहुत से परिवार महिलाओं की इस आजादी हिटलर व गोबल ने इस पिछड़ी विचारधारा को 1930-40 में फैलाया था और भाजपा इसे 20वीं सदी में अपना रही है। 1937-40 में फासीवादी युद्ध के दौरान दुनिया भर की प्रगतिशील महिलाओं ने इस विचारधारा के खिलाफ संघर्ष किया था। वही विचारधारा हमारे देश में शर्मनाक ढंग से फैलायी जा रही है।

महिलाओं से संबंधित कानून, जिनके बारे में महिला संगठन व श्रम संगठन लगातार माँग करते रहे हैं, उनके बारे में एक पाठ्य पुस्तक में भाजपा की यह राय है 'हिन्दू विधवा विवाह प्रावधान, 1956, हिन्दू

इस अंक में

धनबाद में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए धरना	4
बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा एकता मार्च	5
पटना में आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की सद्भाव रैली	5
श्रम संगठन : महिलाएं आगे क्यों नहीं ?	6
का. मीनाक्षी कोल्हारकर	7
मजहबी कट्टरता के खिलाफ औरतों की आवाज	7
एक क्रान्तिकारी जीवन की अमर याद	10
देश का भविष्य सड़कों पर	11
द्वितीय हिन्द महासागर क्षेत्रीय श्रमिक संघ सम्मेलन	12
का० नीलिमा राय	13
कुशल महिला श्रमिकों की समस्या	14
आंध्र प्रदेश में दहेज के लिए 200 मौतें	15
बढ़ती हुई यौन छेड़छाड़ : अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन	16
सांसदों व विधायकों के लिए भी हम दो हमारे दो	16
नयी आर्थिक नीति का महिलाओं पर प्रभाव	17
यह हमारी एशियाई संयोजक फरीदा शहीद द्वारा जारी अपील है जिस पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है—मरियम	18
संयुक्त परिवार टूटने से आत्महत्या के मामलों में वृद्धि—एक सर्वेक्षण	19
सांप्रदायिकता के खिलाफ ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. का कार्यक्रम	20
कोटनिस महोदया से का० विमल रणदिवे की बातचीत	21
अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति राज्य कमेटी की बैठक	23
लगातार सांप्रदायिक हिंसा के कारण महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की सीटू द्वारा मांग	24

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

महिला संपत्ति अधिकार 1937, विशेष विवाह प्रावधान 1954, हिन्दू विवाह व तलाक प्रावधान, 1955 आदि के बारे में उलका मत है कि इससे परिवार असंगठित कल्याण सिंह के इस मत के अनुसार इन महिला समर्थक प्रावधानों का परिणाम तनाव व परिवार में बिखराव है।" तो क्या उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए, कल्याण सिंह जी ? पाठ्य पुस्तक यही दावा करती है।

जैसा कि सभी जानते हैं भाजपा के नेताओं ने देवराला के रूप में कंवर सती कांड का कभी विरोध नहीं किया। दरअसल प्राप्त सूचना के अनुसार कल्याण सिंह सरकार के अन्तर्गत कुछ पाठ्य पुस्तकों में फेरबदल किये गये। इस ओर ध्यान दीजिए : "हिन्दू स्त्रियों ने अपने शील की रक्षा के लिए विदेशियों से पर्दा शुरू कर दिया।

इस प्रकार पर्दा प्रथा की जड़े पवित्रता की रक्षा करने में हैं।" इतिहास की संशोधित पुस्तक में लिखा है : "जोहर-व्रत लेकर हिन्दू स्त्रियां अपने धर्म व सतीत्व की रक्षा करती थीं।" भाजपा महिलाओं के सतीत्व के बारे में इतनी चिन्तित है कि वह पुरुषों के सामने पर्दा व बुर्का आदि प्रयोग करने की प्रशंसा करती है। हिन्दू व मुस्लिम प्रगतिशील महिलायें पर्दे व बुर्के को गुलामी की निशानी के रूप में देखती हैं। वे ईरान, उजबेकिस्तान व अन्य मुस्लिम देशों में इस परम्परा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। पाकिस्तान में भी महिलाओं ने पर्दे का विरोध करके इस गुलाम मानसिकता से बाहर आने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ भाजपा इस रूढ़िवादी व पिछड़ी विचारधारा की प्रशंसा करती है। 'हिन्दू महिलाओं की पवित्रता' की रक्षा के नाम पर वे विधवाओं को अपने पति के शव के साथ सती होने को बाध्य करेंगे। उनमें पतियों से पूछने का साहस नहीं था कि पत्नी की मृत्यु होने पर वे सती नहीं होते। राजा राम मोहन राय जिन्होंने नारी जाति को इस जघन्य परंपरा से बचाने की कोशिश की थी, उन्हें भी हिटलरपंथी विचारधारा के तर्क पर आश्चर्य होगा।

भाजपा बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने से खुश है। कल्याण सिंह ने कहा कि यह कार्य एकदम उपयुक्त था। 2 फरवरी के आसपास कलकत्ता में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ने कहा कि वे बाबरी मस्जिद के ढांचे के गिराये जाने पर शर्मिन्दा नहीं हैं। क्यों ?" यह राष्ट्रीय शर्म का नहीं राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है।

भाजपा चाहती है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय के शासन को स्वीकार करे व उसी के अनुरूप आचरण करें। मुस्लिम विदेशी हैं। लेकिन शिवसेना के अनुसार तमिल, तेलुगू व मलियाली लोगों के लिए भी महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं है। उन्हें अपने राज्यों में वापस चला जाना चाहिए। दिसम्बर '92 तथा उसके बाद जनवरी 1993 में महाराष्ट्र में सांप्रदायिक पार्टियों द्वारा अदा की गयी भूमिका अब सबको पता है, जहाँ हजारों की संख्या में मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी गयी। ये सांप्रदायिक पार्टियां नारी का कितना सम्मान करती हैं इसका पता सूरत, भोपाल व अन्य स्थानों पर किये गये सामूहिक बलात्कारों से चलता है। उन्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन भाजपा के तर्क के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को छेड़ा ही जाना चाहिए। उन्हें नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे कभी बहु-संख्यक न बन पाएं।

कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को समझा जा सकता है। कई बार टूटने या देखभाल के लिए कोई न होने के कारण बच्चे की देखभाल नहीं हो पाती। बर्तमान बुर्जुवा जमींदारों की सरकार से क्रेय की सुविधा मांगने या आसमान जूती कीमतों को कम करने की माँग करने के बजाय भाजपा महिलाओं से कहती है कि वे घर पर रहें और अच्छी गृहणी बनें।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने विभिन्न कानूनों के बावजूद वर्तमान व्यवस्था महिलाओं पर हावी रहती हैं। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के बजाय वर्तमान व्यवस्था में दहेज के कारण मौतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, हजारों की संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं, तथा भाजपा शासित राज्य राजस्थान में 'सती' की घटनाएं हो रही हैं। जो महिलाएं बाजार से जुड़ना चाहती हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। बच्चियों तक के साथ बलात्कार व छेड़-छाड़ की घटनायें बढ़ रही हैं। भाजपा जो कि केन्द्र में सत्ता में आना चाहती है और इसी के लिए मध्यावधि चुनाव की मांग कर रही है। वह 1990 में उत्तर प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकों में उल्लिखित बातों को कानूनी मान्यता

[शेष पृष्ठ 24 पर]

धनबाद में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए धरना

यमुना सहाय

13 जनवरी को, पिछले 6 दिसम्बर और उसके बाद देश भर में उभरे धार्मिक उन्माद तथा भड़की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में एवं सद्भाव स्थापना के उद्देश्य से, झरिया प्रखण्ड स्तरीय नवगठित "साम्प्रदायिकता विरोधी-सद्भाव स्थापना जन अभियान समिति" के बैनर तले प्रभावशाली धरना कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर आहूत सांप्रदायिकता विरोधी धरने का ही एक हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य कट्टरपंथी सांप्रदायिक शक्तियों को अलग-थलग करना तथा वाम, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, देश भक्त एवं शांतिकामी शक्तियों को एकजुट कर देश की एकता, अखण्डता और सौहार्द की रक्षा करना है।

धरना कार्यक्रम से पहले जन-अभियान समिति समिति के बैनर तले, जिस पर "लक्ष्य हमारा—भाईचारा" अंकित था, सबसे आगे लेकर झरिया स्टेशन के मैदान से एक बड़ी रैली निकाली गयी जिसमें दो सौ से अधिक महिलायें थी, जो स्टेशन रोड, बाटा मोड़, सब्जी मार्केट, लक्ष्मिनिया मोड़, लाल बाजार, चिल्ड्रेन पार्क मोड़, धर्मशाला रोड से गुजरते हुए, धरना स्थल 4 नम्बर तागा स्टैंड पहुंची। प्रदर्शन का नेतृत्व यमुना सहाय, एस. के. बक्सी, सुरेश पासवान, राम सुमेर पासवान, सुरेश गुप्ता, के. पी. सिंह, रामकृष्णा पासवान, उमा देवी, राम नरेश, राजाराम, संध्या बक्शी, शिव बालक पासवान, ओमप्रकाश सिंह, नन्दलाल मुखिया, शिव कुमार, विनोद, मानस कुमार, बाल्मिकी धाड़ी, रामप्रताप, आनन्द महतो, आबिद, कुर्बान, जैनुल, ब्रह्मदेव प्रसाद, शिवकुमार सिंह आदि कर रहे थे जिसका मुख्य नारा था—ये नकली राम दुलारे हैं—देश के हत्यारे हैं, बापू हम शर्मिन्दा हैं—तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, गरीब मरेगा, गरीब कटेगा—सांप्रदायिकता से देश बंटेगा, राम नाम तो ढाल है—ये सियासी चाल है, नाम ले भगवान का—कत्ल करे इंसान का, आज कोई नारा न होगा—सिर्फ देश बचाना होगा।

उक्त धरना कार्यक्रम एवं धरना स्थल पर आयोजित आमसभा की अध्यक्षता डा० गुलाम रब्बानी (माकपा), अनिल सरकार (एस. यू. सी. आई.), गोपाल मंडल (स. ज. पा.), जीवलाल गोप (ज. द.), बच्चन भारती (मासस) और बसंतलाल बेगी (भाकपा) ने किया तथा सारी कारवाईयों का संचालन उक्त-जन अभियान समिति के संयोजक यमुना सहाय ने किया, जो सी. पी. आई. (एम), झरिया-सिन्दरी लोकल कमिटीके सचिव भी हैं। उक्त कार्यक्रम में छः वाम-जनवादी पार्टियों के अलावा डी. वाई. एफ. आई., एस. एफ. आइ., ठीकेदारी मजदूर इकाई (बी. सी. के. यू. (सीटू), जनवादी लेखक संघ, झरिया, जनवादी महिला समिति, मार्क्सवादी नारी चेतना समिति, शांति कमिटी, लोदना, झरिया नागरिक समिति, मंथन कला मंच, लोदना, बंगाली समिति, विहार बंगाली समिति, माध्यमिक शिक्षक संघ, स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार, लेखक, कवि वकील, चित्रकार, गायक, नाटककर्मी, डाक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक एवं आम नागरिक भारी संख्या में भाग लिये। धरना स्थल को नारों, कोटेशनों, चित्रों आदि से जलेस के युवा कार्यकताओं ने बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया था। विभिन्न दलों एवं जन-संगठनों के बैनरों, झण्डों, तख्तियों आदि की वजह से एक नये विश्वास का आभास मिल रहा था।

धरना स्थल पर सम्बोधित करने वालों में गिरजा कांत मंडल, तारा चरण झा, संध्या बक्शी, नारायन सिंह, मीरा राय, राजकुमारी देवी, वाम एवं जनवादी पार्टियों के गोपीकान्त बक्सी, गोपाल मंडल, बचन भारती, जीवलाल गोप, एम. एन. उपाध्याय, झरिया क्षेत्र की विधायिका (ज. द.) आबो देवी का नाम उल्लेखनीय है।

जनवादी लेखक संघ के शैलेन्द्र भारद्वाज, तैयब खां, शिक्षक संघ के शेख अल्लाउद्दीन, इप्टा के साजिद हुसैन तथा मुश्ताक हुसैन एवं उनके साथियों ने सांप्रदायिकता विरोधी तथा सद्भावना के समर्थन में कविताओं और गीतों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। धनबाद जिला कल्चरल एसोसियेशन के अश्वनी कुमार विश्वास, सुब्रत राय चौधरी, देवाशिष वैद्य, शुभाशीष बैठा, मन्टू सिंह,

[शेष पृष्ठ 20 पर]

बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा एकता मार्च

14 दिसम्बर, 1992 को बिहार राज्य आंगनवाड़ी की नौवतपुर प्रखंड शाखा द्वारा पिपलांवा आंगनवाड़ी केन्द्र से अपराह्न एक बजे एक शांति-सद्भावना-एकता जुलूस निकाला गया। जुलूस में आंगनवाड़ी पिपलांवा के छः वर्ष तक के बच्चों-बालक-बालिकाओं, सेविका-सहायिकाओं के अतिरिक्त अन्य आंगनवाड़ी केन्द्रों की सेविका सहायिकाओं ने भी भाग लिया। बच्चों के हाथों में तख्तियाँ थीं जिन पर विभिन्न महापुरुषों के कथन व इबारतें लिखी हुई थीं। मसलन :

"यह सत्य है कि हम चाहते हैं कि धर्म समाज सुधारक न हो, और साथ-साथ हम इस बात पर भी बल देते हैं कि धर्म को सामाजिक नियम-निर्माता होने का कोई हक नहीं। अपने हाथ अलग रखो ! अपने को सीमा में रखो, तो सब ठीक हो जायेगा।" —स्वामी विवेकानन्द

"राष्ट्रों के सामने जो समस्याएं हैं उनका संबंध हिन्दू-मुसलमान-सिख-ईसाई सभी से है। दरिद्रता-बीमारी-बेकारी अशिक्षा हिन्दू-मुसलमान का विचार नहीं करती।"
—प्रेमचंद

"मैं भारत को ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जिसमें दरिद्र व्यक्ति को भी लगे कि यह उसी का देश है।"
—महात्मा गांधी

या फिर

"मालिक ने हर इन्सान को इन्सान बनाया,
हमने उसे हिन्दू या मुसलमान बनाया,
कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती,
हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया।"
—साहिर लुधियानवी

जुलूस में बालिकाएँ आगे-आगे चल रही थीं और इसके पीछे बच्चों की दो कतारें थीं। यह शांति मार्च गांव का भ्रमण करता हुआ पिपलावां पक्की सड़क पर पहुंचा और वहां एक नुक्कड़ सभा हुई। सभा को स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार व साहित्यकार का० शुकदेव प्रसाद वर्मा 'विप्लवेन्द्र' ने संबोधित किया। उन्होंने जनता से शांति व सद्भाव बनाये रखने की अपील की।

पटना में आगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की सद्भाव रैली

बिहार राज्य आगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ की ओर से 17 दिसम्बर '92 को पटना स्थित गांधी मैदान में गाँधी जी की मूर्ति से एक सद्भाव रैली दिन के 1 बजे से निकाली गयी। इस रैली में सबसे आगे शांति-सद्भावना-एकता मार्च का बैनर लिए दो महिलायें खड़ी थीं तथा उनके पीछे बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ का बैनर था। उसके पीछे प्रखण्ड शाखाओं का बैनर तथा प्रसव सेविकाओं का बैनर तथा उनका जत्था शामिल था। सेविकायें सहायिकाएँ अपने-अपने हाथों में सद्भावना की तख्तियाँ हाथों में लेकर चल रही थीं।

इस रैली का नेतृत्व राधारमण सिन्हा, महामंत्री, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बिहार, सुधा बिन्दू मिश्रा, बिहार राज्य जनवादी महिला समिति, शांति मिश्रा, महामंत्री, बिहार राज्य आगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ, बिहार, सुभद्रा सिंह, शीला देवी, शैल कुमारी, कमला सिन्हा, मालती कुमारी आदि नेता कर रही थीं।

शांति-सद्भावना, सेविकाओं-सहायिकाओं, प्रसव सेविकाओं की माँगों के जंगजू नारों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। महिलाओं की यह रैली काफी अनुशासित तथा आकर्षक ढंग से सुसज्जित की गयी थी। बावजूद इसके की वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति से उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव को रोकने के लिए काफी प्रशासनिक सतर्कता बरती गयी थी एवं कड़े सुरक्षा प्रबंध किये गये थे तथा सभी पटना सिटी क्षेत्र के छ (छः) थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू अभी उठाया गया था, काफी साहसिक मनोबल लिए साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तथा देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा करने के दृढ संकल्प के साथ ये महिलायें बिहार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से पटना पहुँची थीं।

यह रैली गाँधी मूर्ति, पटना गाँधी मैदान से शुरू होकर फ्रेजर रोड, काक बंगला चौराहा, बेली रोड होते हुए हड़ताली चौक पहुँची जहाँ एक सभा भी हुई जिसे शांति मिश्रा, महामंत्री, बिहार राज्य आगनवाड़ी सेविका-सहा-

[शेष प्रष्ठ 8 पर]

श्रम संगठन : महिलाएं आगे क्यों नहीं ?

सुन्दरी

श्रम संगठनों के नेतृत्व में महिलाओं की अनुपस्थिति मजदूर जगत की एक आम बात है लेकिन अलग-अलग देशों के मामले में इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास से है।

भारत जैसे देश में जहां से सदा से पुरुषों का प्रभुत्व रहा है इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके पुरुष सह-कर्मियों का रवैया रहा है जो उस शक्ति में हिस्सा नहीं बंटाना चाहते जो अब तक उन्हें ही प्राप्त रही है। नाम के लिए महिलाओं को यूनियनों की कार्यकारी समितियों में प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है लेकिन उनकी बैठकें ऐसे समय पर आयोजित की जाती हैं कि महिलाएं उनमें मुश्किल से ही भाग ले पाती हैं। रात के समय बैठक आयोजित करना, बैठक में आपसी खींचतान तथा वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करके व कीमती समय बर्बाद करने से महिलायें हतोत्साहित होती हैं। इसके अलावा पुरुष महिलाओं के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते चाहे महिलाएं कितनी भी सक्षम क्यों न हों। प्रशासनिक स्तर पर भी यह रवैया देखने में आता है। पुरुष प्रधान प्रशासनिक जगत में प्रवेश कर चुकी महिला अधिकारियों के अनुभव से यह बात सिद्ध होती है।

1910 में जब सुश्री क्लारारा जाटकिन ने यह प्रस्ताव रखा था कि 8 घण्टे काम के विरुद्ध महिलाओं द्वारा 8 मार्च (1907) को किये गये संघर्ष के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाये तो उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दशकों बाद भी 99.9 प्रतिशत कामगार महिलाएं 8 घण्टे से अधिक काम कर रहीं होंगी (यदि घर व दफ्तर के काम को जोड़ा जाये)। इस अत्यधिक कार्य-भार से भी यूनियनों में उनकी भागेदारी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहां सदा से पुरुषों का प्रभाव रहा है यह कल्पना करना भी बेकार है कि पति घर के काम में हाथ बंटायें। दरअसल, प्रभावित महिलाएं स्वयं कपड़े धोने, बर्तन मांजने व बच्चों का खयाल रखने जैसे काम में पुरुषों का सहयोग लेने में हिचकिचाती हैं। लोगों को श्रम के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए तथा महिलाओं को घरेलू काम से थोड़ा मुक्त किया जाना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारियों में पुरुषों की हिस्सेदारी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर विचार होना चाहिए। शायद ही कोई श्रम संगठन पारिवारिक काम में महिलाओं का हाथ बंटाये जाने के मुद्दे पर काम कर रहा है। अधिकतर श्रम संगठन महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। 23.9.1919 के अपने भाषण में का. लेनिन ने घरेलू काम के सामाजिकीकरण का जो विचार रखा था उसे अभी भी बहुत से पूंजीवादी देशों में जनता की सहमति मिलना शेष है।

पुरुषों व महिलाओं की मांगों में अन्तर भी महत्वपूर्ण है। लम्बे समय से मजदूर आन्दोलन केवल आर्थिक मांगों की ओर ही ध्यान दे रहा है। महिलाओं की समस्याएं प्रकाश में नहीं आयीं हैं। महिलाओं की मांगें आर्थिक से ज्यादा सामाजिक प्रकृति की होती हैं। वे सामाजिक सुविधाओं के लिए अधिक संघर्ष करना चाहेंगी। महिलाओं के मुद्दे न उठाये जाने से महिलायें आगे आने से हतोत्साहित होती हैं, (या इसे यों भी कहा जा सकता है कि महिलाओं के आगे न आने के कारण उनकी समस्याएं ज्यादा नहीं उठायीं जातीं।)

हमारी सामाजिक मान्यताएं व नियम कानून भी श्रम संगठनों की गतिविधियों में महिलाओं की भागेदारी में आड़े आते हैं। हमें पुरुष व महिला दोनों के लिए उच्च नैतिक मूल्य कायम करने चाहिए।

यदि महिलाएं श्रम संगठनों में भागेदारी करें तो वे निर्भीक व कुशल नेता बन सकती हैं। राजनैतिक मतभेदों को भूलकर महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सोवियत संसद में अधिक से अधिक महिलाओं को चुनने की अपील करते हुए का. लेनिन ने कहा था : "जब तक वे ईमानदार कार्यकर्ता हैं तब तक वे अपना काम समझदारी से करने की योग्यता रखती हैं। उन्हें मॉस्को सोवियत के लिए बड़ी संख्या में चुनें।" हमारे पुरुष नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए।

संक्षेप में, पुरुषों को महिलाओं के साथ जिम्मेदारी

बांटने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें घरेलू काम की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिये। मजदूरों की मांगों में महिलाओं की मांगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये। राजनैतिक व सामाजिक सीमाओं को तोड़ते हुए महिलाओं की भागेदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये। और महिलाओं को मजदूर आन्दोलन की जिम्मेदारियां निभाने के लिए आगे आना चाहिये। महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ते जाने से मजदूर आन्दोलन महिलाओं पर अधिक से अधिक निर्भर होता जायेगा। अतः उनकी भागेदारी को हर कीमत पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिये व उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए।

कॉ० मीनाक्षी कोल्हारकर

माकपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता का. मीनाक्षी कोल्हारकर का 15 दिसम्बर 1992 को उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। वे श्री कोल्हारकर की पत्नी थीं व महिला संघ के लिए बहुत काम किया। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि हालांकि वे गंभीर रूप से बीमार थीं और छड़ी के सहारे के बिना चल फिर नहीं सकतीं थीं फिर भी उन्होंने का. लिओ शो थी की पुस्तक "सच्चे कम्युनिस्ट कैसे बने" का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने डॉ. नॉर्मन बेटनन की जीवनी 'वार सर्जन' का भी मराठी में अनुवाद किया। का. कोल्हारकर व मीनाक्षी दोनों कई वर्षों से माकपा में कार्य कर रहे थे। उनका निधन महाराष्ट्र माकपा के लिए बड़ी क्षति है। जैसे ही का. विमल रणदिवे ने का. मीनाक्षी के निधन का समाचार सुना वे उनके घर गयीं व शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 15, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

मजहबी कट्टरता के खिलाफ औरतों की आवाज

जनवरी की 22 तारीख को करीब दो हजार महिलाओं और बच्चों ने राजधानी की सड़कों पर जुलूस निकालकर पिछले हफ्तों में फूटे दंगों और खासतौर पर देश के विभिन्न केंद्रों में धर्म के नाम पर औरतों के साथ बलात्कार तथा औरतों व बच्चों पर नृशंस हमलों पर अपने क्षोभ व गुस्से का इजहार किया और प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन देकर प्रशासन व कानून का पालन कराने वालों बलों व सरकार की भूमिका की आलोचना करते हुए यह सवाल उठाया कि इन हमलों से औरतों और बच्चों की रक्षा कौन करेगा। ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री से फौरन कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए इसकी जरूरत को भी रेखांकित किया गया कि लोगों के बीच फैलती इस धारणा को तुरन्त व तत्पर कार्रवाई के जरिए दूर किया जाना चाहिए कि सरकार या तो आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ है या फिर जरूरी कदम उठाना ही नहीं चाहती है।

शांति और एकता के लिए महिलाओं के इस मार्च में एक ओर झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाली मजदूरिनें और दूसरी ओर पढ़ने-पढ़ाने के पेशे समेत सामाजिक जीवन के विभिन्न हिस्सों तथा विभिन्न पेशों से जुड़ी महिलाएं कंधे से कंधा भिड़ाकर चल रही थी। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, सेंटर फार वीमेंस डैवलपमेंट स्टडीज, ज्वाइंट, वीमेंस प्रोग्राम, महिला दक्षता समिति, नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन वीमेन तथा वाई डब्ल्यू सी ए. इन छः अखिल भारतीय महिला संगठनों द्वारा आयोजित इस मार्च में खासी बड़ी संख्या में दिल्ली के महिला ग्रुपों से जुड़ी महिलाओं ने और स्कूल-कालेज की छात्राओं ने भी शिरकत की।

नयी दिल्ली में मंडी हाउस से शुरू होकर यह प्रभावशाली जुलूस फिरोजशाह रोड जनपथ तथा टालस्टाय मार्ग होते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंचा जहां थाने के सामने पुलिस द्वारा रोक दिये जाने के बाद जुलूस आम सभा में तब्दील हो गया। जुलूस में बच्चे अपने हाथों में जो तख्तियाँ उठाये चल रहे थे उन पर लिखा था : "बच्चों का सवाल—धर्म के नाम पर हमारी जिंदगी की

बर्बादी क्यों ?" महिलाएं जो नारे लगा रही थी उनमें सवाल उठाया जा रहा था कि औरतों और बच्चों को जलाना कैसा धर्म है ? दूसरे नारे सांप्रदायिकता के खिलाफ महिलाओं के एकजुट होने की अभिव्यक्ति कर रहे थे। कुछ तख्तियों पर अंकित नारा था : "धर्म के नाम पर देश जलाना, ऐसे भक्तों से राम बचाना।"

सी डब्ल्यू डी एस की डा० कुमुद शर्मा ने सभा की अध्यक्षता की। सभा को जनवादी महिला समिति की वृंदा करात, एन एफ आई डब्ल्यू की तारा रेड्डी, वाई डब्ल्यू सी ए की संगीता, जे डब्ल्यू पी की ज्योत्सना चैटर्जी तथा महिला दक्षता समिति की विनय भारद्वाज ने संबोधित किया। सभा में बोलते हुए सभी वक्ताओं ने सूरत, बंबई, भोपाल, अहमदाबाद आदि में महिलाओं व बच्चों पर हुए अत्याचारों पर ध्यान खींचा और बताया कि किस प्रकार संघ द्वारा फैलाई गयी सांप्रदायिक घृणा के सबसे बुरे नतीजे इन्हीं को भुगतने पड़े हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आज धर्म के नाम पर जो सांप्रदायिक मुहिम चलायी जा रही है उसका धर्म से कुछ भी लेना-देना नहीं है और उसके पीछे मंशा बस सत्ता पर कब्जा करने की है।

वृंदा करात ने कहा कि "रघुकुल रीति सदा चलि आयी, प्राण जाय पर वचन न जायी" को बदल कर संघ परिवार ने कर दिया है, "भाजपा रीति सदा चलि आयी, वचन जाय पर कुर्सी न जाई।" उन्होंने संघ परिवार की साजिश और उसके साथ सरकार की मिलीभगत, दोनों का ही मुकाबला करने के लिए महिलाओं की व्यापकतम एकता के निर्माण का आह्वान किया। सूरत तथा बंबई का दौरा कर लौटी तारा रेड्डी ने वहां की भयंकर परिस्थितियों तथा शिव सेना-भाजपा गिरोहों के हमलों का ब्यौरा दिया। उन्होंने सरकार की भी तीखी आलोचना करते हुए कहा कि जब बंबई जल रही थी सरकार सो रही थी। हाल ही में बंबई से लौटी ज्योत्सना चटर्जी (जे डब्ल्यू पी) ने जोर देकर कहा कि महिलाओं को एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा जिसका धर्म से कुछ भी लेना-देना नहीं है और जो क्षुद्र राजनीतिक हितों की चिन्ता से ही संचालित है। महिला दक्षता समिति की विनय भारद्वाज ने कहा कि इन शक्तियों की कल्पना के हिन्दू राष्ट्र में महिलाओं की गरिमा के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा और उसमें ताकतवर ही जी सकेंगे। महिलाओं को एकजुट होकर इस मुहिम का मुकाबला करना होगा। वाइ डब्ल्यू सी ए की संगीता ने धर्म-निरपेक्षता में अपने संगठन की निष्ठा व्यक्त की और सभी प्रभावित हुए लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से देश की एकता की हिफाजत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

महिलाओं के मार्च की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गये ज्ञापन में उठायी गई मांगों में सिर्फ महिलाओं पर ही आश्रित रह गये परिवारों का सर्वे कराने तथा उन्हें समुचित सहायता दिलाने, सूरत में जघन्य सामूहिक बलात्कार की वीडियो फिल्में बनाने तथा अब इन फिल्मों को दिखा रहे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मुजरिमाना अक्षमता व लापरवाही के लिए गद्दी से हटाने, दंगों में मिलीभगत के दोषी अधिकारियों तथा पुलिस बल के लोगों के खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई करने, गिरफ्तार लोगों के मामले की तेजी से छान-बीन कराने व निर्दोष लोगों को छोड़ने और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का अनथक प्रचार करने, सांप्रदायिक शक्तियों की विघटनकारी साजिशों को बेनकाब करने तथा इस सिलसिले में खासतौर पर महिलाओं व बच्चों की तकलीफों को रेखांकित करने की मांगें शामिल हैं।

(पृष्ठ 5 का शेष)

यिका एवं कर्मचारी संघ, कमला सिन्हा, जिला शाखा-मुंगेर, सुधा बिन्दु मिश्रा, बिहार राज्य जनवादी महिला समिति, बिहार राज्य कमेटी, राधा रमण सिन्हा, महामंत्री चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बिहार ने संबोधित करते हुए साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होकर मुकाबला करने तथा राष्ट्रीय एकता अखण्डता की रक्षा करने का आह्वान महिलाओं से किया।

बाद में शांति मिश्रा, सुभद्रा सिंह, शीला देवी शैल कुमारी, कमला सिन्हा के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल बिहार के कल्याण सचिव श्री जुलियसबेक से मिला और एक मांग पत्र समर्पित किया। श्री बेक ने शिष्ट मंडल की बातें गौर से सुनी और उन पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

हम विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय महिला संगठनों के प्रतिनिधि इस ज्ञापन के द्वारा, भय, असुरक्षा व दुख की उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं जो देश के अधिकतर भागों की महिलाओं में व्याप्त है। 6 दिसम्बर को संघ परिवार द्वारा अयोध्या में किये गये राष्ट्र-विरोधी अपराध के बाद देश भर में फैली हिंसा की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं व बच्चे हुए हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारी रक्षा कौन करेगा? जो महिलाएं विधवा हो गयी हैं वे पूछती हैं कि कौन उन्हें आश्रय देगा। जिन महिलाओं के प्रियजनों को उनकी आंखों के सामने हत्या कर दी गयी है वे कहाँ जायें? जो महिलाएं हिंसा व बलात्कार की शिकार हुई हैं वे पूछती हैं— हमारा भविष्य क्या है?

प्रधानमंत्री महोदय, हम आपसे पूछते हैं हम क्या उत्तर दें? क्या हम कह सकते हैं कि सरकार आपकी मदद करेगी? क्या हम कह सकते हैं सरकारी एजेंसियां व पुलिस आपकी मदद करेंगी। आज की राष्ट्रीय त्रासदी यह है कि इन प्रश्नों का विश्वासपूर्वक उत्तर नहीं दिया जा सकता।

प्रधानमंत्री महोदय, आपके पद का पूरा सम्मान करते हुए हमें यह कहना पड़ रहा है कि आपके फैसलों व वक्तव्यों से लोगों में कोई विश्वास पैदा नहीं होता बल्कि उल्टे उससे अनेक तरह की आशंकायें ही पैदा होती हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण आपके द्वारा शिव सेना का पाकसाफ करार देना व यह कहना है कि बम्बई की घटनाओं का अयोध्या से कोई संबंध नहीं है। जहां तक पुलिस का सवाल है अधिकतर प्रभावित शहरों में पुलिस की अपराधियों से खुली सांठगांठ रही है।

देश के विभिन्न भागों से अपनी इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर हम आपसे कुछ आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करेंगे।

1. जो परिवार अब पूरी तरह महिलाओं पर आश्रित हो गये हैं उनका व्यापक सर्वे किया जाये। हालांकि आपने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया है कि ऐसे परिवारों को पूरी पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, लेकिन हमारी रिपोर्टों से पता चलता है कि ऐसा कहीं नहीं किया गया। अतः तुरन्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

2. आपने सूरत गैंग-रेप के बारे में पढ़ा होगा जिसकी रिपोर्टों के अनुसार, अपराधियों ने वीडियो फिल्म भी बनायी। हमने सुना है कि इन टेपों का वितरण हो रहा है। हमारा अनुरोध है कि आप मामले की तुरन्त जांच करें व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

3. आपने बम्बई से जाने वाले हजारों परिवारों से वापस लौटाने की अपील की है। जबकि, हमारी रिपोर्टों के अनुसार लोगों में असुरक्षा की भावना अभी भी बहुत गहरी बैठी हुई है। हमारा मानना है कि शहर की जनता में विश्वास पैदा करना बेहद जरूरी है तथा इसके लिए पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उनकी आपराधिक अक्षमता व लापरवाही के लिए बर्खास्त किया जाना चाहिए।

4. जिन पुलिस अधिकारियों पर दंगों में मिलीभगत के आरोप हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यायिक जांच जिसका आपने आदेश दिया है, समयबद्ध होनी चाहिए।

5. हजारों बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारा मानना है कि गिरफ्तार लोगों की तुरन्त जांच हो ताकि बेकसूर लोगों को रिहा किया जा सके।

6. सांप्रदायिक सद्भाव व धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के प्रचार व सांप्रदायिक ताकतों की साजिश को बेनकाब करने में इलैक्ट्रानिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाए। खासकर महिलाओं व बच्चों की स्थिति उजागर की जाए।

प्रधानमंत्री महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि तेजी से निर्णय लेकर इस छवि को समाप्त करें कि सरकार जरूरी कदम उठाने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है। हमें आशा है कि आप हमारी मांगों को गंभीरता से लेंगे व जरूरी कदम उठायेंगे।

धन्यवाद।

भवदीय

1. ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए.	—वृंदा करात
2. सेंटर फॉर वोमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज	—कुमुद शर्मा
3. संयुक्त महिला कार्यक्रम	—ज्योत्सना चटर्जी
4. महिला दक्षता समिति	—विनय भारद्वाज
5. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वोमेन	—प्रमिला लूम्बा व तारा रेड्डी
6. यंग वोमेन्स क्रिश्चियन ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया	—मैरी खेमचंद, साधना गांगुली

एक क्रान्तिकारी जीवन की अमर याद

इस वर्ष 24 दिसम्बर का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। यह अदम्य साम्यवादी क्रान्तिकारी सेनानी का. किम जोंग सुक का 75वां जन्म दिन है।

इस दिन पर कोरियाई जनता अपनी अलग तरह की जिन्दगी और शोषण पर पीछे मुड़ कर एक नजर डालती है।

उनका जन्म जापानी उपनिवेशवादी शासन के दौरान 24 दिसम्बर, 1917 को उत्तरी हैम्ग्योंग प्रान्त में होटगाँग शहर में एक देश भक्त परिवार में हुआ था। शुरू से ही उन्होंने एक उपनिवेश देश की व्यथा-कथा का अनुभव किया। इस प्रक्रिया में उनकी राजनीतिक चेतना धीरे-धीरे बढ़ती गयी और जनरल किम द्वितीय सुंग के पदचिह्नों का अनुशरण करते हुए वे क्रान्ति पथ पर आगे बढ़ चलीं।

उन्होंने जनरल किम II सुंग द्वारा भेजे गये राजनीतिक मजदूरों की मदद से क्रान्ति के सत्य को पहचाना तथा सितम्बर 1931 को चिल्ड्रन्स वेनगार्ड में शामिल हो गयीं जो कि एक क्रांतिकारी व अर्ध-सैनिक संगठन था।

चिल्ड्रन्स वेनगार्ड में शामिल होते हुए उन्होंने एक शपथ ली :

"मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जनरल किम II सुंग की क्रान्तिकारी सैनिक होने में गर्व का अनुभव करते हुए आखिरी दम तक कोरियाई क्रांति के लिए संघर्ष करती रहूँगी।"

जनरल किम II सुंग से उनकी प्रथम भेंट लिगजियांग सैंडावन में हुई थी। उस दिन उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि जनरल किम II सुंग हमारे राष्ट्र के एक महान सपूत हैं। उन्होंने सदा जनरल किम II सुंग के प्रति वफादार रहने की शपथ ली। सितम्बर, 1935 में वे कोरियाई क्रान्तिकारी सेना में शामिल हुईं।

का. किम जोंग सुक ने अपने संघर्ष में वैज्ञानिक आधार वाली क्रांतिकारी विचारधारा तथा जनरल किम II सुंग के विचारों को पुनः स्थापित किया।

उन्होंने जनरल सुंग के विचारों में अपनी पूरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि कोरियाई क्रान्ति की विजय का एक मात्र तरीका उन विचारों का अनुशरण करना ही है।

हमारे लोगों को अभी तक याद है कि किस प्रकार उन्होंने क्विफेंग और डोंगयाइजी गुप्त कैम्पों में किस प्रकार जनरल सुंग के क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन किया। 1939 में बेडाडिगजी में दिया गया उनका भाषण विशेष रूप से प्रभावशाली था : "हम अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने कमांडर जनरल किम II सुंग के क्रांतिकारी विचारों पर अमल करें! यह हमारा आदर्श व गौरवपूर्ण कार्य है। यदि हम उनके विचारों पर अमल करें तो कोई भी शत्रु यदि कितना ही चालाक क्यों न हो हमारा रास्ता नहीं रोक सकता।

उन्होंने जनरल के आदेशों व निर्देशों के पालन में कभी कोई चूक नहीं की।

जब उन्हें 20 दिन में 600 सैनिक वर्दियां तैयार करने का काम सौंपा गया तो उन्होंने अपनी महिला साथियों के साथ मिलकर होंगकी गुप्त कैंप में दिन रात काम किया व इस प्रकार क्रांतिकारी सेना के शरदकालीन कार्यकलापों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जापानी-विरोधी सशस्त्र संघर्ष के लिए माउन्ट पैकेट को केन्द्र बनाकर काम करते हुए उन्होंने अपने आपको पूरी तरह झोंक दिया।

उन्होंने जनरल के विचारों के आधार पर कोरियाई साम्यवादी आंदोलन एकता के महत्व पर हमेशा बल दिया व स्वयंक्रान्ति की प्रमुख शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिये काम किया।

एक बार 1937 के वसन्त में जब 'ऐसोसिएशन फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ फादरलैंड' की बिरादराना महिला ऐसोसिएशन की स्थापना हो रही थी, तब उन्होंने कहा :

"कामरेड, जनरल किम II सुंग हमारे सूर्य हैं। हमें उनका अनुशरण करना चाहिये।"

एक दफा जब वे अपनी सैनिक वर्दी की टोपी में सितारा टांक रही थीं तो उन्होंने आसमान में चमकते हुए सितारों को देखकर अपने साथियों से कहा कि हमें इन सितारों की तरह प्रकाश बिखेरते हुए एक उद्देश्य के प्रति समर्पित जीवन जीना चाहिए। वे जहां कहीं भी गयीं, वहां किसानों व मजदूरों के गहरे सम्पर्क में आयीं ताकि उन्हें जनरल के साथ संगठित किया जा सके। उन्होंने

मजदूरों व किसानों को देश को आजाद कराने की प्रेरणा दी ।

उन्हें पूरा विश्वास था कि जनरल के नेतृत्व में कोरियाई क्रांति सफल होगी तथा उनका स्वास्थ्य कोरिया के उज्जवल भविष्य की गारंटी है, वे हमेशा, हर मोर्चे पर जनरल सुंग की सुरक्षा करती थीं ।

1940 की गर्मियों के आरंभ में जिआओहारबेलिंग के समीप ए पी आर ए की एक प्रमुख इकाई का अचानक दुश्मन से सामना हो गया । युद्ध छिड़ गया । कुछ शत्रु सैनिक छिपते-छिपाते मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जहां से जनरल किम II सुंग युद्ध का संचालन कर रहे थे । उन्होंने जनरल को अपने शरीर का कवच प्रदान करते हुए उन सैनिकों का काम तमाम कर दिया ।

का. किम जोंग सुक ने सैनिक गतिविधियों में महारथ हासिल कर ली थी तथा उन्होंने अनेक युद्धों में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी जैसे फ्यूसुंग कंट्री टाउन व मूसन का युद्ध ।

वे एक महिला गुरिल्ला थीं जो जनरल के नेतृत्व में पूरा भरोसा था ।

जापान विरोधी सशस्त्र संघर्ष के दिनों में वे सदा गुरिल्लाओं व जनता के साथ रहीं । उनके सुख-दुख में भागेदारी की तथा बाद में देश के स्वतंत्र होने पर उन्होंने जन-सेवा की शानदार मिसाल कायम की । उन्होंने अधिकारियों से हमेशा आग्रह किया कि वे जनता के सच्चे सेवक बनें । उन्होंने कहा कि जब कोई क्षाम जनता के रहन-सहन को ही अपनाता है व उसी हवा में सांस लेता है तभी वह जनता का सच्चा सेवक बन पाता है ।

जापान विरोधी सशस्त्र संघर्ष के पहले दिन से अपने अन्तिम समय तक उन्होंने जनरल को सहायता दी तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम किया । का० किम जोंग सुक एक सच्चे सैनिक नेता, जापान-विरोधी नायिका व सच्ची क्रांतिकारी का आदर्श रूप हैं ।

उनका असाधारण जीवन व लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष हमारी जनता को इस बात की प्रेरणा देता है कि वह पार्टी व नेता के प्रति वफादार रहे ।

राजधानी की दशा

देश का भविष्य सड़कों पर

अप्रैल में प्रकाशित यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली में लगभग 400,000 बालश्रमिक हैं जो कि राजधानी में बच्चों की कुल संख्या का 18 प्रतिशत है ।

एक चौथाई श्रमिक सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले बच्चे हैं जो परिवार के साथ या परिवार से अलग झुग्गियों में या फुटपाथ पर रहते हैं । इन बाल-श्रमिकों में से 86 प्रतिशत लड़कियाँ हैं व 14 प्रतिशत लड़के हैं ।

रपट में इस बात का भी अध्ययन किया गया कि वे किस प्रकार का कार्य करते हैं । इनमें से 100,000 घरेलू नौकर, 40,000 कुली व मजदूर (कृषि व निर्माण क्षेत्रों में), 30,000 दुकान सहायक, अन्य 30,000 ढाबों पर कार्यरत श्रमिक तथा 20,000 स्कूटर व कारों की वर्कशॉप में कार्यरत बाल श्रमिक हैं । अन्य अपनी जीविका अखबार बेचकर या चौराहों पर भीख मांगकर कमाते हैं ।

लड़के प्रायः मशीनरी फिटर, दर्जीगिरी, लोहारगिरी, टूल मेकर्स व टूल ऑपरेटर्स के रूप में काम करते हैं ।

जब भीख मांगने से पर्याप्त आय नहीं हो पाती तो कुछ बच्चे जलते तार के गोले बीच से कूदने जैसे खतरनाक कारनामे करते हैं, जैसा कि शिवाजी पुल के समीप होता है ।

8 से 10 घण्टे काम करने वाला एक मोची दिन में 20-25 रु. तक कमा सकता है । उसमें से करीब पांच रुपये स्थानीय पुलिस वाले या अन्य बड़े मजदूरों को देने पड़ सकते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं । ये बच्चे सबसे ज्यादा आम-वर्ग में आते हैं जबकि रिक्शा चलाने जैसे व्यवसायों में प्रायः इतनी आय नहीं होती ।

इसके विपरीत सबसे कम आय वाले बाल-श्रमिकों में अखबार बेचने वाले जिन्हें 68 रु. मिल सकते हैं या भीख मांगने वाले बच्चे आते हैं जिन्हें 5 से 15 रु. तक मिल सकते हैं ।

इन बच्चों के व्यावसायिक खतरों में कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों को बीमारी लगने की आशंका तथा

[शेष पृष्ठ 20 पर]

द्वितीय हिन्द महासागर क्षेत्रीय श्रमिक संघ सम्मेलन

उषा माहेश्वरी

द्वितीय हिन्द महासागर क्षेत्रीय श्रमिक संघ सम्मेलन 4-11 दिसम्बर, 1992 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुआ। सम्मेलन का आयोजन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड एण्ड लेबर काउंसिल ने किया था। इस क्षेत्र के 12 देशों के 75 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, हाँगकाँग, दक्षिण कोरिया, फिलिपीन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे तथा दक्षणी अफ्रीका के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधि ने सम्मेलन का अभिनन्दन किया।

भारत से केवल सीटू को आमन्त्रित किया गया था। सीटू की ओर से गए प्रतिनिधियों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया एम्प्लाईज यूनियन के सचिव का. तपन सेन, 'फैक्ट' एम्प्लाईज यूनियन के महासचिव कॉ. चन्द्रन पिल्लई तथा तमिलनाडु जनरल इन्श्योरेंस एम्प्लाईज ऐसोसिएशन, जो कि ऑल इण्डिया इन्स्योरेंस एम्प्लाईज ऐसोसियेशन (ए.आई.आई.ई.ए.) की एक राज्य इकाई है—की उपाध्यक्ष उमा महेश्वरी शामिल थीं। दल का नेतृत्व पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव कॉ. चित्तब्रत मजूमदार ने किया।

सम्मेलन का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया की श्रम संबंधों की मन्त्री श्रीमती यवोना हैण्डरसन ने किया।

विचार-विमर्श का मुख्य मुद्दा विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत किए जाने वाले आर्थिक पुनर्गठन कार्य-क्रमों का मजदूर वर्ग तथा मजदूर आन्दोलन पर पड़ने वाला प्रभाव, मजदूर आंदोलन में क्षेत्रीय एकजुटता लाना तथा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका आदि थे। सम्मेलन में हिन्द महासागर क्षेत्र के बारे में भविष्य के निर्देशों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

सम्मेलन में आर्थिक गतिविधियों, उनके सामाजिक तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों, राजनीतिक अनुभव और मजदूर वर्ग की स्थिति के बारे में उनके अनुभवों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में निजीकरण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व विदेशी पूंजी के लिए खोलने जैसे मुद्दे उभर कर आये। इनसे मजदूर वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उनसे निबटने के लिए मजदूर संगठनों द्वारा उठाये जा रहे कदमों पर भी विचार किया गया।

दक्षिण कोरिया, फिलिपीन, थाइलैंड, मलेशिया व हाँगकाँग के प्रतिनिधियों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयी कि किस प्रकार इन देशों में सरकार द्वारा खुली लूट की इजाजत दे दी गयी है, आम जनता और मजदूर वर्ग का दमन हो रहा है, जनता के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है तथा विदेशी पूँजी का दबाव बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय शासक इन देशों का उदाहरण अपने कार्यक्रमों की सफलता के रूप में पेश करते हैं। इन देशों में जनता व मजदूर वर्ग की जो दशा है इसका कारण विश्व बैंक-मुद्रा कोष के निर्देशों पर चलाये जा रहे कार्यक्रम ही हैं।

कामगार महिलाओं का विशेष सम्मेलन

दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, फिलिपीन तथा आस्ट्रेलिया की महिला प्रतिनिधियों का एक विशेष सम्मेलन भी हुआ। इन प्रतिनिधियों ने अपने देशों में महिलाओं को मजदूर आंदोलन में संगठित करने के बारे में अनुभवों का आदान-प्रदान किया। विचार-विमर्श में यह बात उभर कर आयी कि महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना तथा नौकरी छूटने के डर से उनका यूनियन की गतिविधियों में भाग न लेना नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण है। अतः यह जरूरी समझा गया कि उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ ही साथ उन्हें मजदूर आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए गंभीर रूप से प्रयास किये जायें।

इस आठ-दिवसीय सम्मेलन की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया गया कि पूंजीवाद मजदूरों की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। यह विचार तब उभर कर सामने आये जब सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था के

पतन तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नये पूँजीगत हमलों के कारण उभर कर आयी समस्याओं पर विचार किया जा रहा था।

सम्मेलन में इस क्षेत्र के देशों के श्रमिक आंदोलनों में आपसी तालमेल पैदा करने तथा विभिन्न आंदोलनों में सहयोग व समान रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सम्मेलन में आपसी अनुभवों तथा आर्थिक पुनर्गठन के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रभावों के बारे में संबंधी शोध सूचनाओं के आदान-प्रदान की एक व्यवस्था विकसित करने का भी निश्चिय किया गया।

नवम्बर, 1994 में अगला सम्मेलन आयोजित करने का भी फैसला किया गया।

सम्मेलन में एक सामाजिक आचार संहिता भी पारित की गयी जिसमें क्षेत्र के कुछ देशों में अभी भी मूलभूत मजदूर अधिकारों व मानवाधिकारों को नजर-अंदाज किए जाने का उल्लेख है तथा इसके साथ ही विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हमले के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग पर प्रकाश डाला गया है।

सांस्कृतिक सम्मेलन

इसके साथ ही साथ श्रम संगठनों के संस्कृतिकर्मियों का एक सम्मेलन भी 7-12 दिसम्बर, 1992 को आयोजित किया गया। भाग लेने वाले श्रम संगठनों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत की ओर से हल्दिया पोर्ट वर्कर्स यूनियन के कॉ. गोपाल अधिकारी तथा इण्डियन ऑइल कोर्पोरेशन कॉ. अमल नायक ने सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में संघर्ष के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के बारे में श्रम संगठनों के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के अनुभवों का भी आदान-प्रदान हुआ।

का० नीलिमा राय

स्टील मजदूर आंदोलन की एक प्रमुख स्तंभ का. नीलिमा रॉय का 5 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली में निधन हो गया। हृदय-अवरुद्ध हो जाने के कारण उनका दिल्ली में आपरेशन करना पड़ा। आपरेशन के बाद वे जीवित नहीं रहीं। वे 52 वर्ष की थीं।

का. नीलिमा राय ने दुर्गापुर स्टील प्लांट में मजदूर आंदोलन को संगठित करने खासकर महिलाओं के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दरअसल का. नीलिमा राय उन साथियों में से एक थीं जिन्होंने दुर्गापुर प्लांट में ही नहीं बल्कि दुर्गापुर शहर में भी महिलाओं को संगठित करने व उन्हें लोकतांत्रिक आंदोलन में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। खासतौर से सत्तर के दशक के अर्ध-फासीवादी आतंक के जमाने में संघर्ष की अग्रिम पंक्ति की नेताओं में थीं, जबकि शासक वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग पर संगठित रूप से हमले किये जाते थे।

अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कॉ. नीलिमा राय श्रमिक आन्दोलन व महिला आन्दोलन की एक सक्रिय कार्यकर्ता थीं साथ ही वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भी सदस्य थीं। उनकी मृत्यु से स्टील मजदूरों खासकर महिला मजदूरों को बड़ी क्षति पहुंची है।

का० नीलिमा राय की अन्तिम क्रिया 6 फरवरी को की गयी। 6 तारीख की सुबह से ही दुर्गापुर के स्टील मजदूर व आम जनता उनको शत माल्यार्पण करने के लिए यूनियन के दफ्तर पर जमा होने लगे। हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाईज यूनियन, डी० एस० पी० व ए० एस० पी०, स्टील वर्कर फेडरेशन आफ इंडिया, डी० एस० पी० व ए० एस० पी० के ठेका मजदूरों की यूनियन, आइड्वा, दुर्गापुर माकपा के क्षेत्रीय व जिला स्तरीय नेता, छात्रों व युवाओं के नेता तथा एटक ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

दिल्ली में भी सीटू के महासचिव एम० के० पंधे, का० विमल रणदिवे, का० कनाई बनर्जी (सीटू के सचिव) का० रंजीत बसु, कोषाध्यक्ष, का० एस० देव राय, का० परमेश्वर सिंह ने उनके शव पर फूल मालाएं चढ़ाई। इनके अलावा का० सीताराम येचुरी, का० जोगेन्द्र शर्मा, का० वृन्दा करात ने भी शव पर पुष्पार्पण किया।

कुशल महिला श्रमिकों की समस्या

पुरुष प्रधान रोजगारों में कार्यरत लगभग सभी महिलाओं के समक्ष आत्म सम्मान की रक्षा की समस्या होती है। उन्हें केवल काम ही नहीं सीखना होता बल्कि भेद-भाव, छेड़-छाड़ व हतोत्साहित करने वाले कानूनों से निबटने के तरीके भी सीखने होते हैं। उनकी अनेक समस्याएं हैं।

जब महिलायें अपने चुने क्षेत्र में स्नातक अध्ययन पूरा कर लेती हैं व व्यावसायिक प्रामाणिकता हासिल कर लेती हैं फिर भी उनके कार्य को निम्न स्तर का समझा जाता है व उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम पूरा करने के बाद यदि उनमें आत्मसम्मान या गर्व जैसी कोई भावना होती है तो वह काम पर पहुंचने के बाद खत्म हो जाती है, जहाँ उन्हें बेहद मामूली से काम सौंपे जाते हैं तथा उन्हें महिला होने के कारण बाहरी व्यक्ति समझा जाता है। उसकी बौद्धिक क्षमताओं, कार्यकुशलता व जानकारी पर प्रश्न-चिह्न लगाया जाता है तथा हर बार व्यवसाय बदलने पर, अथवा नयी भर्ती होने पर उसे अपनी क्षमताओं व योग्यता को साबित करना पड़ता है।

इसका परिणाम सिर्फ रोजगार से हाथ जाना ही नहीं होता। 10 वर्ष तक अस्वीकृति झेलने और धक्के खाने के बाद महिलायें रोजगार छोड़ना चाहती हैं। बन्धन यह होता है कि कई वर्ष तक सामान्यतः 'महिलाओं के काम' के लिए मिलने वेतन से बेहतर वेतन व लाभ प्राप्त करते रहने के बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है परिणामतः उन्हें भावनात्मक सुविधा और आर्थिक सुरक्षा में से एक का चुनाव करना पड़ता है। यदि आपके पास अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं या तनाव झेलने की क्षमता न हो तो व्यवसाय में टिकना बड़ा मुश्किल काम है।

यही कारण है कि स्थानीय महिला व्यवसायी समर्थक समूहों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। 'क्लेवलैंडस हार्ड हैटेड वोमेन' ऐसे कुछ समूहों में से एक है जो महिला व्यवसायियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा महिलाओं को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाने में मदद करते हैं। ये समूह महिलाओं के लिये एक ऐसे स्थान की भूमिका भी अदा करते हैं जहाँ महिलाएं मिल बैठ कर एक दूसरे का सुख-दुख बांट सकें।

ऐसे समूहों का एक प्रमुख कार्य 'केवल महिलाएं' वाली मानसिकता का मुकाबला करना है। 'क्लेवलैंड हार्ड हैटेड वोमेन' समूह की संस्थापक सदस्य मैरी बेयर्ड का कहना है कि कार्यस्थलों पर हम प्रायः अल्पसंख्यक होती हैं। "जब कभी हम किसी मुद्दे पर संगठित होते हैं—चाहें वह कार्यस्थलों से अश्लील साहित्य हटाने या यौन छेड़छाड़ समाप्त करने के मुद्दे हों—हम दरअसल आत्मसुरक्षा कर रहे होते हैं।"

'हार्ड हैटेड वोमेन' की एक अन्य सदस्य बताती हैं कि—"निर्माण स्थल पर अकेली महिला उद्यमी होने के कारण आस-पास कोई सहायक नहीं होता तथा अपनी कोई समस्या उठाने पर कोई समर्थन करने वाला नहीं होता।"

ये क्षेत्रीय महिला व्यवसायी समूह एक दूसरे से 'नैशनल ट्रेड्स वोमेन नैटवर्क' (एन टी एन) के माध्यम से जुड़े रहते हैं जिसकी स्थापना 1990 में की गयी थी। एन टी एन की यूनियन समिति व्यवसायी व गैर-व्यवसायी महिलाओं के बीच कार्य करती है। यह महिलाओं को इस बात के लिये भी प्रेरित करती है कि वे यूनियन की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय हिस्सेदारी करें तथा अंतर्क्षेत्रीय व अंतर्व्यवसायी स्तर पर जानकारी का आदान-प्रदान करें।

'ऑल वोमेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' तथा 'यूनियन लेजन समिति' के सदस्य यूनियन के अधिकारी कार्यकर्ता व कर्मचारी होते हैं। इसकी कार्यकारी निदेशक टैरीपर्सन का कहना है कि उनका भविष्य का सपना "सत्ता के गलियारों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाने में समर्थ होना है ताकि हम सब जायज सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।"

लेबर नोट्स, सितम्बर, 1992
संयुक्त राज्य अमरीका

आंध्र प्रदेश में दहेज के लिए 200 मौतें

दहेज मौतों की सामाजिक बुराई आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों और उभरी है। केवल कृष्णा जिले में पिछले डेढ़ साल के दौरान दहेज के लिए मौतों या ससुराल वालों द्वारा परेशान किये जाने वाले 200 मामले प्रकाश में आये हैं।

पर्याप्त दहेज न लाने वाली पत्नी से छुटकारा पाने का एक आम तरीका आज भी बहू को जला देना है। लेकिन जो लोग अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते वे उसे आत्महत्या की ओर धकेलते हैं।

हाल ही में एक निजी अस्पताल में जिस लड़की की जलने से मृत्यु हुई है उसका यह भय था कि उसके ससुराल वाले उसके बच्चों को दुःख पहुंचायेंगे अतः उसने उन्हें पाक साफ करार दे दिया। पुलिस ने तभी सक्रियता दिखाई जब उस मामले पर जन प्रदर्शन हुआ।

कृष्णा जिले में दहेज के लिए बहुओं को परेशान करने व आत्महत्या के लिए मजबूर करने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

कृष्णा जिले की महिला लीग सैल, जिसे स्वयं 200 शिकायतें मिलीं, मानती है कि केवल एक चौथाई मामले ही प्रकाश में आये हैं। सैल के समक्ष आने वाले अधिकतर मामलों में महिलाओं को शारीरिक या मानसिक यातना दी गयी।

हाल ही में मध्यम वर्गीय परिवार की एक महिला ने अपने गुप्तांगों में यातना देने की शिकायत की। "पुरुष कितने अमानवीय हो सकते हैं। मैं और किस यातना के लिए तैयार रहूं।" उसने महिला फोरम से पूछा।

आमतौर पर समस्या तब होती है जब नयी बहुएं पिछली बहू से अधिक दहेज लाती हैं। इससे ससुराल वालों का लालच बढ़ जाता है व परेशानी शुरू होती है।

जब ससुराल वालों की कुछ माँगें पूरी कर दी जाती हैं तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। कैनावरम के निकट सवरीगुडम में एक पति ने पत्नी द्वारा अपने घर वालों की दी हुई भूमि से इन्कार करने पर ठोकर मार दी।

लड़की के घरवालों ने पति-पत्नी को जमीन उपहार-स्वरूप दी थी लेकिन पति ने अपनी जमीन बेचकर पैसा खर्च कर दिया व फिर पत्नी की जमीन पर नजर गड़ाई।

स्वरूप रानी का कहना है कि मछलीपट्टनम में 2 लाख रु. की मांग पूरी न कर पाने के कारण एक बहू को जला दिया।

ज्योत्सना कहती हैं कि उनका सेंटर समस्या के समाधान के लिए पति व पत्नी दोनों की मदद करता है। यदि पति समझदार हो और घर वाले परेशानी पैदा कर रहे हों तो उन्हें अलग रहने की सलाह दी जाती है। जब साथ रहना असंभव लगता है तभी अलग रहने की सलाह दी जाती है। एकमात्र शर्त यह होती है कि दहेज वापस किया जाये।

स्वरूप रानी कहती हैं कि उनके संगठन के प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ पतियों ने विवाह के समय मिला दहेज वापस कर दिया व लड़कियों के नाम जमा करवा दिया।

हत्या या आत्महत्या के मामलों में कई बार ऐसा देखने में आया है कि लड़की वाले समझौता कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपनी दूसरी लड़कियों की शादी भी करनी होती है। इसके परिणामस्वरूप अनेक मामले समझौते से समाप्त हो जाते हैं।

पुलिस उपायुक्त एम.वी. रामचन्द्रन का कहना है कि पुलिस को प्रायः इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि दोनों पर अदालत में रवैया बदल लेते हैं क्योंकि वे अदालत से बाहर समझौता कर लेते हैं।

अन्य मामलों में लड़की वाले दोषियों को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने के हत्या का मामला दर्ज कराते हैं। हत्या के मामले में सबूत की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर ही होती है। जबकि आत्महत्या के मामले में जिम्मेदारी अभियुक्त पर होती है और सजा होने की अधिक संभावना होती है।

इस बुराई पर नियन्त्रण करने का तरीका यही है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया जाए। सुश्री ज्योत्सना ने कहा कि तंग किये जाने वाले मामलों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर महिला अदालतें होनी चाहिए।

ज्योत्सना का कहना है कि दहेज विरोधी कानूनों को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। रामचन्द्रन राजू का कहना है कि महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा दहेज हत्याओं व आत्महत्या के मामलों की निरंतर जांच-पड़ताल से स्थिति में सुधार हो सकता है।

बढ़ती हुई यौन छेड़छाड़ : अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अध्ययन में कहा गया कि महिलाओं के साथ यौन छेड़छाड़ विश्व भर में गंभीर रूप लेती जा रही है जिसके कारण इसकी शिकार महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है ।

जिन महिलाओं से बात की गयी उनमें से 6 से 8 प्रतिशत महिलाओं को छेड़छाड़ के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी । उनमें से अधिकांश को जबरन मुअत्तल कर दिया गया । जबरन नौकरी से निकालने का अनुपात अधिकांश 12 में 1 का है ।

आई.एल.ओ. के महानिदेशक माइकल हैंसने कहते हैं "दो औद्योगीकृत देशों में किये गये अध्ययनों के परिणामों से पता चलता है कि यौन छेड़छाड़ व तंग किया जाना एक गंभीर समस्या है जिससे महिलाओं का बहुत बड़ा अनुपात पीड़ित है ।"

इन देशों में अमरीका, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन व जापान शामिल हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यन के मुताबिक जिन महिलाओं से प्रश्न किये गये उनमें से 15-30 प्रतिशत कामगार महिलाओं ने कहा कि उन्हें प्राय: यौन छेड़छाड़, फब्तियाँ कसे जाने या संभोग का आग्रह करने जैसी घटनाओं का शिकार बनना पड़ा है ।

ये आक्रामक टिप्पणियाँ व आग्रह प्राय: भावनात्मक तनाव का कारण बनते हैं व बीमारियों को जन्म देते हैं ।

इन आँकड़ों पर चिन्ता प्रकट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आगाह किया है कि ये सर्वेक्षण, जो 23 देशों में व कुछ सीमित तबकों में ही किये गये हैं, स्थिति की सही तस्वीर पेश नहीं करते ।

श्री हैंसन कहते हैं कि "यह तस्वीर अधूरी है क्योंकि सभी देशों में ऐसे बहुत से मामले प्रकाश में ही नहीं आ पाते ।"

रिपोर्ट के मुताबिक "ऐसी घटनाओं की 60 प्रतिशत शिकार इन घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि मैं मानती शिकायत करने से स्थिति सुधरेगी नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा ।

लेकिन इन अध्यनों से यह पता अवश्य चलता है कि समस्या के बारे में कार्यालय । राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में काफी जागरूकता पैदा हुई है ।

बेशक, आई.एल.ओ. रिपोर्ट के बाद बेल्जियम व फ्रांस में नये प्रावधान बने हैं ।

सांसदों व विधायकों के लिए भी हम दो हमारे दो

संसद सदस्यों व विधायकों को जल्द ही 'हम दो हमारे दो' के आदर्श का सख्ती से पालन करना पड़ेगा अन्यथा वे संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिए जायेंगे । यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में संविधान संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया जिसके अनुसार यदि किसी सांसद या विधायक का संशोधन के एक वर्ष बाद तीसरा बच्चा होगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

चूँकि सरकार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए कृतसंकल्प है अतः सम्भवतः, इस कार्रवाई के अगले शिकार सरकारी कर्मचारी होंगे । सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि सेवा कानूनों में किस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि उनमें परिवार कल्याण योजना को शामिल किया जा सके । यात्रा छूट न देने के अलावा तीन बच्चे होने पर वेतन वृद्धि व तरक्की भी रोकी जा सकती है ।

कैबिनेट ने अनुच्छेद 102 और 191 में परिवर्तन की स्वीकृति दे दी है जिसमें उल्लेख है कि किस आधार पर सांसदों व विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है । दो बच्चों के नियम को भंग करना अपराध के समान होगा ।

राष्ट्रीय विकास परिषद की जनसंख्या उप समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय सुझाये थे ।

ध्यान रहे कि इस वर्ष पहले ही सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री दो बच्चों का कानून लागू करने के स्वास्थ्य मंत्री एम.जे. फोतेदार के सुझाव का समर्थन कर चुके हैं ।

नयी आर्थिक नीति का महिलाओं पर प्रभाव

जब सरकारी नौकरियों व सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगारों में बड़े पैमाने पर छंटनी होगी तो सबसे पहले महिलाओं को ही निकाला जायेगा। औद्योगीकरण के कारण उत्पादन प्रक्रिया में आये बदलावों औपनिवेशिक नीतियों के कारण महिलाओं को गृह-उद्योगों से हटा दिया गया। अब नयी आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप महिला उद्यमियों को औपचारिक रोजगार बाजार से बाहर धकेल दिया गया है। नयी आर्थिक नीति में अनौपचारिक क्षेत्र के समन्वयन का कोई प्रावधान नहीं है जहाँ कि बड़ी संख्या में महिलायें कार्यरत हैं।

यदि सरकार गरीब-वर्ग के लिए कोई सुरक्षा तन्त्र उपलब्ध नहीं करा सकी तो नयी आर्थिक नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं ही होंगी, जिनके हाथ घरेलू संसाधनों का कोई नियंत्रण नहीं होता हालांकि वे ही गृहस्थी चलाती हैं। आय में कमी आने के कारण उनकी क्रय शक्ति घट रही है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी घटाये जाने से उनकी समस्याएं और बढ़ी हैं। खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि व क्रय शक्ति के घटने के कारण उन्हें गृहस्थी चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कम क्रय शक्ति से उनका स्वास्थ्य स्तर भी प्रभावित हुआ है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ श्रम लागत घटाने के लिए स्वचालन व सस्ती श्रम शक्ति के रूप में महिलाओं का प्रयोग करने की नीति अपनायेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियोक्ता ऐसे श्रमिकों को रखने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें वे अपनी इच्छानुसार जब चाहें तभी निकाल सकें। अतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ महिलाओं को शोषणकारी शर्तों पर रखेंगीं। नयी आर्थिक नीति से यह प्रक्रिया और तेज होगी।

मजदूरों की वर्तमान समस्याओं पर विचार करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्लांट स्तर के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में रखे गए अनुभवों से पता चला कि रोजगार देने तथा वेतन आदि में महिलाओं के साथ भेद-भाव, प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों में फूट पैदा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन की सिफारिशों का उल्लंघन करना आम बात है। (ई. पी. डब्ल्यू. 11-18 अप्रैल, 1992 : 732)

दिल्ली व बम्बई के प्रमुख महिला संगठनों ने 8 मार्च को महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डालने वाली आर्थिक नीति के खिलाफ रैली करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। 'जागोरी' ने 'ढांचागत समायोजन और महिलाएं' विषय पर बैठक की जिसमें दिल्ली के विभिन्न संगठन शामिल हुए। 'विशाल-समर्पण' नामक एक विस्तृत लेख सभी भाग लेने वालों में वितरित किया गया। 21-22 अप्रैल को 'वॉलेंटरी एक्शन नेटवर्क' ने 'ढांचागत समायोजन पर प्रतिक्रिया और पुनः उपनिवेशीकरण: स्वयंसेवी कार्यक्रम का महत्व' पर एक सेमीनार आयोजित किया। सेमीनार में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने इन नीतियों की आलोचना की व नयी आर्थिक नीति के विरुद्ध जन-शिक्षण अभियान की आवश्यकता पर बल दिया।

अन्ततः हमारी आवश्यकता जनोन्मुख विकास की है। जैसा कि कारी पोल्यानी लेविट ने ठीक ही कहा है "इस बात पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि विकास क्या है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के रवैये के अनुसार विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रवाह ही है। लेकिन विकास जनता व समाज के बारे में होता है। यह बाहर थोपा नहीं जा सकता। यह एक रचनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका केन्द्र आर्थिक गतिविधियों में होता है। विकास का अर्थ केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन या धन ही नहीं होता है।

भारत राज्य के प्रभावी हस्तक्षेप वाले सामाजिक-आर्थिक ढांचे का विकास करके, सरकारी खर्चों में कटौती करके, काले धन पर रोक लगाकर, विदेशी मदद पर निर्भरता घटाकर तथा प्रभावी गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास कर सकता है तथा अपनी एकता व प्रभुसत्ता की रक्षा कर सकता है।

यह हमारी एशियाई संयोजक फरीदा शहीद द्वारा जारी अपील है जिस पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है—मरियम

प्रिय मित्रो,

पत्र के साथ 'मूवमेंट फॉर जस्टिस एण्ड सोशल टॉलरेंस (जस्ट) की एक अपील व अख्तर हमीद खान के विरुद्ध मामले के संदर्भ में 'न्याय विरोधी कानून' संलग्न है। अख्तर हमीद एक जाने-माने व्यक्ति हैं तथा उनकी धार्मिक अवधारणा का आधार व्यापक अध्ययन है।

ऐसे मामले का सामना करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। अनेक लोगों के खिलाफ ऐसे मामले चलाये गये हैं। कुछ गैर-मुस्लिम लोगों की तो हत्या भी कर दी गयी है। मसलन :

6 जनवरी, 1992 को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एक धर्मान्ध व्यक्ति ने एक अध्यापक नैमत अहेर पर हमला किया।

दो अहमदी अध्यापकों को मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में करीब सात माह तक कैद रखा गया।

ये मामले पाकिस्तान पीनल कोड ऑन ब्लासफेमी के अनुच्छेद 295-सी के तहत आते हैं जिसमें कहा गया है :

"कोई भी व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, लिखित या अलिखित माध्यम से अथवा किसी अन्य प्रकार पैगम्बर मोहम्मद की अवमानना करता है उसे मृत्यु दंड, आजीवन कारावास की सजा दी जायेगी अथवा जुर्माना किया जायेगा।

यह कानून मूलतः गलत है क्योंकि इसमें धर्म की सीमाओं को परिभाषित नहीं किया है जिसके तहत रहने की नागरिकों से अपेक्षा की जाती है। अतः किसी भी बात को असंवैधानिक बताया जा सकता है व किसी को भी सजा दी जा सकती है।

अख्तर हमीद खान के वकील ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जिस पर वे अपने मुवक्किल को मृत्यु दंड से बचा सकें। यदि कोई न्यायधीश ही उनकी बहादुरी दिखाये तो वो धर्म की सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। अख्तर हमीद अपने नाम के कारण बच सकते हैं लेकिन बाकियों के सामने यह रास्ता नहीं है।

हमारा आपसे आग्रह है कि आप आंतरिक मंत्रालय, कानून मंत्रालय, राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष को पत्र लिख कर अख्तर हमीद के खिलाफ लगाये गये झूठे आरोप वापस लेने व बेकसूर नागरिकों पर ऐसे मामले चलाना बन्द करने की अपील करें।

विदेशी मित्र कृपया अपने देशों के पाकिस्तानी दूतावासों को भी पत्र लिखें।

पते इस प्रकार हैं :

1. चौ० सुजात हुसैन
   आंतरिक मंत्रालय
   इस्लामाबाद
2. गौहर अयूब
   अध्यक्ष
   राष्ट्रीय असेम्बली,
   इस्लामाबाद
3. चौ० अमीर हुसैन,
   कानून व संसदीय कार्य मंत्रालय,
   इस्लामाबाद

कृपया अपने पत्रों की प्रति हमें भेजें ताकि हम स्थानीय स्तर पर मामला उठाने में उनका उपयोग कर सकें।

भवदीय,
(फरीदा शहीद)

संयुक्त परिवार टूटने से आत्महत्या के मामलों में वृद्धि—एक सर्वेक्षण

ससुराल वालों से झगड़े के कारण आत्महत्या के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। 1985-88 के बीच लगभग 20,460 महिलाओं ने आत्महत्या की। उसी अवधि में 13,940 पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण आत्महत्या की।

'इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एण्ड फौरेंसिक साइंस द्वारा इस वर्ष किए गये एक सर्वेक्षण से ये दिल दहला देने वाले आंकड़े सामने आये। 1984 में दहेज विरोधी कानून आने के पहले व बाद के चार वर्षों के आंकड़ों की तुलना से यह गंभीर स्थिति सामने आयी। 1984 से पहले के चार वर्षों की तुलना में 1984 के बाद के चार वर्षों में पुरुषों के आत्महत्या के मामलों में 25 प्रतिशत व महिलाओं के आत्महत्या के मामलों में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई।

यह अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक डा. जे. मोहन्ता के अनुसार इस रुझान में तेजी से वृद्धि का कारण यह है कि विवाहित जोड़ों पर से संयुक्त परिवारों की पकड़ ढीली होती जा रही है। केन्द्रीय परिवार नव-दम्पत्तियों के जीवन में कहर ढा रहे हैं, जिनका या तो विवाह टूट जाता है या उनमें से एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है।

अध्ययन से पता चला कि पुलिस अथवा नागरिक मदद से उन्हें कुछ लाभ नहीं होता बल्कि उन्हें नुकसान ही होता है। ऐसे भी अनेक मामले प्रकाश में आये हैं कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद परिवार के किसी सदस्य ने आत्महत्या कर ली।

अध्ययन से यह भी पता चला कि कुछ राज्यों में महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। ऐसे राज्यों में केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा दादर और नगर हवेली है। इन राज्यों में 1984 से पहले व बाद की अवधि में क्रमशः 3,092 व 4,635 पुरुषों ने आत्महत्या की जबकि इसी दौरान 2,385 व 3,565 महिलाओं ने आत्महत्या की। इस प्रकार दोनों ही श्रेणियों में आत्महत्या के मामलों में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई।

डा. मोहन्त का कहना है कि इन राज्यों में पुरुषों द्वारा अधिक आत्महत्या करने का कारण इन राज्यों का सामाजिक-वैवाहिक ढांचा है। उन्होंने कहा कि इस समाज में महिलाएं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं।

जिन राज्यों में महिलाएं पुरुषों से अधिक आत्महत्या करती हैं उनमें हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव हैं। इन राज्यों में 1984 से पहले की अवधि में 12,084 महिलाओं व 8,229 पुरुषों ने आत्महत्या की जबकि 1984 से बाद की अवधि में 16,896 महिलाओं व 9,305 पुरुषों ने आत्महत्या की।

ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि 1988 के बाद से आत्महत्या के मामलों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। 1988 व 1991 के बीच आत्महत्या के मामलों में 82 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है।

इसका समाधान क्या है? संस्थान द्वारा पुलिस व न्यायपालिका के लगभग 100 अधिकारियों के समक्ष यह प्रश्न रखा गया। उनकी प्रतिक्रिया थी कि परिवार के बुजुर्ग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। डॉ. मोहन्त के अनुसार इसका अर्थ परंपरागत संयुक्त परिवार व्यवस्था की ओर जाना है। कुछ का सुझाव यह भी था कि मनोवैज्ञानिक व परिवारजनों द्वारा समझाया-बुझाया जाये।

सांप्रदायिकता के खिलाफ ए.आई.डी. डब्ल्यू. ए. का कार्यक्रम

अयोध्या कांड के बाद हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण महिलाओं के बीच व्यापक प्रचार अभियान की आवश्यकता है। वामपंथी पार्टियों के अभियान पर गठित राष्ट्रीय प्रचार अभियान समिति का ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. भी एक हिस्सा है। इसका नाम राष्ट्रीय एकता अभियान है तथा इसने 1 जनवरी से 30 जनवरी तक व्यापक प्रचार अभियान की अपील की। छात्रों, युवाओं, श्रम संगठनों, किसान सभाओं व बुद्धिजीवियों के अलावा लगभग सभी गैर भाजपा/गैर कांग्रेसी पार्टियां इसमें शामिल हैं। इसमें शामिल महिला संगठन हैं : ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए., एन. एफ. आई. डब्ल्यू. तथा महिला दक्षता समिति। प्रचार अभियान इस प्रकार होगा : (1) 1 से 15 जनवरी तक घर-घर प्रचार अभियान, (2) मोहल्लों में बैठकें, जुलूस आदि (3) जन सभाएं। गांधी जी के शहीदी दिवस 30 जनवरी को एक शपथ ली जायेगी। इस शपथ पर हस्ताक्षर भी इकट्ठे किये जायेंगे जो भगत सिंह शहीदी दिवस 23 मार्च को राष्ट्रपति को दिये जायेंगे। शपथ जल्द ही भेज दी जायेगी।

हमें राज्य व जिला स्तर के सभी महिला संगठनों से अभियान में शामिल होने के लिए संपर्क करना होगा।

[पृष्ठ 11 का शेष]

यौन छेड़छाड़ तक शामिल हैं। इसके अलावा ये बच्चे जुआ, शराब या नशे की आदतों के शिकार भी बन सकते हैं।

सड़कों पर काम करने वाली लड़कियों की स्थिति सबसे विकट होती है। इनमें से कुछ जब तक संभव हो लड़कों के वेष में रहने की कोशिश करती हैं। यौन छेड़छाड़ से बचने के लिए अनेक लड़कियाँ परिवारों से जुड़ने का प्रयास करती हैं।

हालांकि इनमें से अधिकतर बच्चों के मन में भविष्य कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है लेकिन इनमें से 51% ने यूनिसेफ को बताया कि यदि मौका मिले तो वे स्कूल जाना पसंद करेंगी व 72% ने कहा कि वे व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहेंगे।

भारत ने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर दस्तखत किए हैं। भारत में बाल-श्रम पर रोक लगाने वाले अनेक कानून हैं जिनमें से नवीनतम है बाल-श्रम (निषेध व नियंत्रण) कानून, 1986 इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी उद्योग में काम नहीं कर सकते। अन्य स्थानों पर वे काम के घण्टों व कार्य स्थितियों की विशेष शर्तों के अधीन काम कर सकते हैं।

कानून तोड़ने वालों के लिए तीन माह से एक वर्ष तक कैद और / अथवा 10,000/- रु. तक जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है जो शायद ही कभी अमल में आता है।

[पृष्ठ 4 का शेष]

सुमेश गुप्ता, कुन्तल चक्रवर्ती, मानवेन्द्र भट्टाचार्य तथा गोपाल मुखर्जी ने सांप्रदायिकता विरोधी तथा सांप्रदायिक सौहार्द के समर्थन में "आदाब" नाटक का मंचन किया जिसका दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जन अभियान के उक्त कार्यक्रमों में आम लोगों की भागीदारी से विश्वास और भरोसे का नया माहोल बनने का भरोसा जागा है सिर्फ लगातार पहल की जरूरत है।

जन अभियान समिति के संयोजक यमुना सहाय ने देश की वर्तमान गंभीर परिस्थिति में साम्प्रदायिक शक्तियों को बेनकाब करने तथा आपसी भाईचारा कायम करने के इस आयोजन में व्यापक भागीदारी के लिए सभी का अभिनन्दन करते हुए 20 जनवरी को पटना-रैली को सफल बनाने का आह्वान किया और धरना कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

कोटनिस महोदया से कॉ. विमल रणदिवे की बातचीत

[कोटनिस महोदय की विशेषता उनका सुलझा हुआ और अनौपचारिक व्यक्तित्व है 14 जनवरी को 'कामकाजी महिला' की संपादक विमल रणदिवे ने उनसे दिल्ली के बंग भवन में बातचीत की जहाँ वे ठहरी थीं। वे 76 वर्ष की हैं। वे अपने जीवन साथी डा. कोटनिस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कई बहुत उत्साह में आ जाती थीं, जिनकी विवाह के 2-3 वर्ष बाद ही मृत्यु हो गयी थी। उनका पूरा नाम क्वो लिंग लान कोटनिस है। वे 'डालियन म्युनिसिपल चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉफ्रेंस' की स्थायी समिति की सदस्य तथा डालियन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की निदेशक हैं। बातचीत की शुरुआत डॉ. कोटनिस से उनके पहले परिचय के बारे में एक प्रश्न से हुई]

प्र० डॉ. कोटनिस से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई ?

—मैं उनसे 1940 में युद्ध के समय मिली। डॉ. कोटनिस व डॉ. बासु यमन से युद्ध मोर्चे पर आये। मैं युद्ध मोर्चे पर सेवारत थी। भारत से आये चिकित्सकीय दल में पांच चिकित्सक शामिल थे लेकिन उनमें से तीन चले गए तथा डॉ. बासु व डॉ. कोटनिस चीन में रुक गये।

प्र० उन दिनों आप क्या कर रही थीं ?

—मैं नॉर्मन बायन मेडिकल सेंटर में अध्यापिका थी। मेरा काम युद्ध के मोर्चे पर चिकित्सकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना था।

प्र० जब डॉ. कोटनिस मिशन के साथ चीन गए तब वे एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति थे। वे कम्युनिस्ट कैसे बने ?

—हालांकि डॉ. कोटनिस कम्युनिस्ट नहीं थे लेकिन उनके साथ मिशन पर गए डॉ. बासु कम्युनिस्ट थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। यात्रा के दौरान उनके बीच कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में गंभीर विचार विमर्श हुए। चीन पहुँचने के बाद उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन व चेयरमैन माओ—त्सेतुंग का लेखन का गहराई से अध्ययन किया तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जापानी हमलावरों को केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही परास्त कर सकती है। वे 1 जुलाई 1992 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए।

प्र० चिकित्सकीय मिशन किन परिस्थितियों में चीन पहुंचा।

—चिकित्सकीय मिशन 1 सितम्बर, 1938 को चीन पहुंचा। जापानी घुसपैठ के खिलाफ युद्ध 1937 में आरंभ हुआ था जो कि आठ वर्ष यानि, 1945 तक चला। डॉ. कोटनिस 'आठवा रुट' सेना में भर्ती हुए। 1941 में उन्हें नॉर्मन बॉथम बेस अस्पताल का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया हालांकि वे पार्टी के सदस्य नहीं थे।

प्र० जिन दिनों डॉ. कोटनिस युद्ध मोर्चे पर कार्यरत थे तब उनकी दिनचर्या क्या रहती थी ?

—डॉ. कोटनिस का अस्पताल युद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। सवेरे वे सैनिकों के साथ व्यायाम करते थे। व्यायाम के बाद वे दो घण्टे अध्ययन करते थे। वे मार्क्स, लेनिन व चेयरमैन माओ का अध्ययन करते थे। उसके बाद वे निदेशक कार्यालय में काम करते, ऑपरेशन करते या छात्रों को पढ़ाते। इसके अलावा वे छात्रों को पढ़ाने या शिक्षण-सामग्री तैयार करने का कार्य गंभीरतापूर्वक करते थे क्योंकि चिकित्सकीय अध्यापकों का सख्त अभाव था। दोपहर बाद वे मरीजों को देखते थे। वे डॉक्टरों व नर्सों के काम का निरीक्षण भी करते थे। वे यह भी देखते थे कि उपकरणों को ठीक से कीटाणु मुक्त किया गया है या नहीं। सेना के अस्पताल में माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। उन्हें बीमार सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना होता था तथा एक्सरे मशीन आदि सहित उपकरणों की सुरक्षा भी करनी होती थी।

शाम को उन्हें मुख्यालय को रपट भेजने के अलावा कक्षायें लेनी होती थीं व बैठकों में भाग लेना होता था। अस्पताल के स्थान पर दुश्मन के पहुंचने से पहले उन्हें

सभी को घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने व उपकरणों की सुरक्षा संबंधी निर्देश देने होते थे, उन्होंने कभी किसी घायल सैनिक को सेना द्वारा गिरफ्तार नहीं होने दिया।

प्र० हमने सुना है कि 'आठवां रुट' सेना में बहुत कड़ा अनुशासन होता था। सेना में किस तरह का अनुशासन होता था ?

—एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए सेना कभी खेती को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वे जनता से कुछ नहीं लेते दे, उपहारस्वरूप दी जाने वाली भेंटें भी नहीं। वे लोग अगर कभी कुछ लेते थे तो पहले उसका मूल्य चुकाते थे।

प्र० जब डॉ. कोटनिस चीन में थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गयी थी लेकिन उन्होंने वापस आने से इन्कार कर दिया था इसका क्या कारण था।

—जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे जानते थे कि उनके भाई-बहन व अन्य सभी चाहते थे कि वे वापस जायें। उनके साथियों ने उनसे वापस जाने के लिए कहा। लेकिन वे जानते थे कि चीन में उनकी बहुत जरुरत थी। उन्होंने जापानी बमबारी से घायल बच्चों व महिलाओं को देखा जिन्हें चिकित्सकीय सेवा की सख्त जरूरत थी। उस समय हम यनन से बहुत दूर थे जहाँ चेयरमैन माओ थे। जब वे चीन के लिए चले थे तो उनके पिता ने उनसे कहा कि वे काम समाप्त होने के पहले वापस न लौटें। अत: उन्होंने वापस न लौटने का फैसला किया।

प्र० क्या आप डॉ. नॉर्मन बेथम की डॉ. कोटनिस से तुलना करेंगी ?

—डॉ. बेथम व डॉ. कोटनिस एक-दूसरे से नहीं मिले। इस युद्ध के दौरान चीन में डॉक्टरों व चिकित्सकीय कर्मचारियों का सख्त अभाव था। कुछ लोगों को चीन में प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं थे। डॉ. बेथम कुछ प्रशिक्षित डॉक्टर चाहते थे जैसे डॉ. कोटनिस थे। युद्ध के समय में डॉ. कोटनिस व डॉ. बेथम ने हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया। दोनों ही सर्जन थे।

प्र० क्या डॉ. कोटनिस व डॉ. बेथम की आपस में तुलना करेंगी ?

—दोनों महान डॉक्टर थे। डॉ. बेथम दिल के बहुत भले होते हुए जल्द गुस्सा हो जाते थे। डॉ. कोटनिस कैसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होते थे। इसी कारण डॉ. बेथम की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी अत: वे चीनी भाषा नहीं सीखना चाहते थे। लेकिन डॉ. कोटनिस हमेशा लोगों से हिल-मिल कर रहते थे। अतः लोगों ने महसूस किया कि वे लगनशील हैं। उन्होंने चीनी भाषा सीख कर लोगों पर आखिरी प्रभाव छोड़ा।

प्र० डॉ. कोटनिस को किस चीज ने प्रेरित किया कि वे बाद में चीन में ही बस गये ?

—डॉ. कोटनिस ने पाया वहाँ जनता के बीच बहुत काम करना बाकी है। वे अपने मरीजों को छोड़कर भारत नहीं जा सकते थे। डॉ. बेथम की वापस जाने और चन्दा इकट्ठा करने की योजना थी। डॉ. कोटनिस ने महसूस किया कि उन्हें चीन में बहुत कुछ सीखना है ताकि वे भारत लौटने पर उस सबका भारत में इस्तेमाल कर सकें। मुख्यालय ने भी उनमें रुचि ली। उनसे यनन में रुक कर मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अध्ययन करने को कहा गया। मार्च में हमारे एक बच्चे का जन्म हुआ। वे हमें छोड़कर भारत नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने डॉ. बासु को बताया कि चीन में लम्बे समय तक रुकेंगे तथा हमारी पार्टी उन्हें मार्क्सवाद-लेनिनवाद का प्रशिक्षण देना चाहती थी। हमारे नेता उन्हें बहुत पसन्द करते थे। उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता था जो कि एक विदेशी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी।

प्र० उन्होंने चीनी भाषा कैसे सीखी जिसे इतने कम समय में सीखना बहुत मुश्किल काम है ?

—उन्होंने कड़ी मेहनत की। जब वे कोई चीनी कविता सीखते थे तो वे उसे अपनी नोटबुक में हिन्दी व अंग्रेजी में लिखते थे। उनकी ऐसी कई नोट बुक थीं। समय मिलने पर वे अपने छात्रों से भी बहुत कुछ सीखते थे व घर पर भी अपने समय का उपयोग करते थे। वे आम लोगों से मिलते थे और उनसे कहते थे कि "तुम मेरे

शिक्षक हो" उदाहरण के तौर पर एक चीनी कहावत "मामा-मामा-हू-हू" (जिसका अर्थ है घोड़ा-घोड़ा-बाघ-बाघ —यानि यानि-सामान्य) एक विशिष्ट कहावत है लेकिन उन्होंने इसे सीख लिया तथा वे इसका प्रयोग करते थे।

प्र० : चीन में लागू की जा रही एक शिशु नीति के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है ?

—चीन में शहरों व गांवों में लोगों ने स्वैच्छा से इस नीति को स्वीकार किया है। लेकिन अल्पसंख्यकों को छूट दी जाती है जो चीनी जनसंख्या का केवल 6 प्रतिशत हैं। ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों की एक लड़की है उन्हें दूसरे बच्चे की इजाजत दी जाती है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। लेकिन अब यदि पहला बच्चा लड़की हो तो भी लोग एक ही बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। शहरी इलाकों में पहला बच्चा लड़की होने पर लोगों की दूसरे बच्चे की कोई इच्छा नहीं होती।

बातचीत समाप्त हो चुकी थी। लौटते वक्त मुझे लगा जैसे हम वर्षों से मित्र रहे हैं। और कोटनिस महोदया के बीच यह प्रेम-भाव बना रहा। वे भी हमारे ही देश की हैं, क्योंकि डॉ. कोटनिस यहां के थे। वे महाराष्ट्र के शोलापुर के रहनेवाले एक भारतीय नागरिक थे जिन्होंने फासीवाद के विरुद्ध चीन के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना जीवन अर्पित कर दिया। यह युद्ध 1937 में आरंभ हुआ था और 1942 तक चला। डॉ. कोटनिस एवं श्रीमती कोटनिस ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन में उन्हीं सिद्धांतों पर अपने देश की आजादी के लिए काम किया। जब डॉ. कोटनिस ने देखा कि 'आठवां रूट' सेना बहुत कड़े अनुशासन में काम करती है तो वे सी. पी. सी. के सदस्य बन गये। भारत और चीन के बीच यह मित्र बनी रहे तथा और दृढ़ हो, ऐसे विचारों के साथ मैंने उनसे विदा ली।

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति राज्य कमेटी की बैठक

24 दिसम्बर, 1992 को अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की मीटिंग रोहतक जसवीर स्मारक में का. सरोज की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में 7 महिलाओं ने (एक हांसी स्पीनिंग मिल से, एक सिरसा स्पीनिंग मिल से, तीन कृषि फार्म हिसार से, और एक मोहन स्पीनिंग मिल से) हिस्सा लिया। मीटिंग में राज्य सीटू अध्यक्ष का. इन्द्रजीत के अतिरिक्त राज्य सीटू की दो प्रतिनिधि का. सतबीर व का. रामचन्द्र भी मौजूद थीं।

सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया जिसमें—का. गणेश घोष व 6 दिसम्बर की घटनाओं के बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा में मारे गये निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद का. इन्द्रजीत सिंह ने वर्तमान राजनैतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की।

संगठन पर चर्चा करते हुए रिपोर्ट आई कि केन्द्रीय सरकार की नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों के खिलाफ 25 नवम्बर को दिल्ली प्रदर्शन में हरियाणा राज्य से सैकड़ों कामकाजी महिलाओं ने हिस्सा लिया। मिटिंग में फैसला लिया गया कि फिलहाल चार जिलों में हिसार-3-1-93, फरीदाबाद-10-1-93, रोहतक-17-1-93 और जीन्द, पिछले सप्ताह में कामकाजी महिला समन्वय समिति एडहोक कमेटियां गठित की जाएंगी। सभी सीटू जिला कमेटियों से भी अनुरोध किया कि वे अपने-अपने जिले में कामकाजी महिला समन्वय जिला एडहोक कमेटी बनाने के मुद्दों को गम्भीरता से लें।

सब जगह जिला एडहोक कमेटी बनने के बाद अप्रैल में कामकाजी महिलाओं की राज्य का कन्वेन्शन आयोजित किया जाएगा।

लगातार सांप्रदायिक हिंसा के कारण महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की सीटू द्वारा मांग

भारतीय श्रम संगठनों की प्रायोजक समिति बम्बई व गुजरात में पुन: भड़के दंगों की कड़ी भर्त्सना करती है। यह हिंसा पिछले पांच दिनों से लगातार जारी है। समिति ने सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या, लूट व संपत्ति के विनाश पर गहरा दु:ख प्रकट किया है।

महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों की जनता को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। ये सरकारें दंगे के लिए जिम्मेदार ताकतों से निबटने में अपनी प्रशासनिक क्षमता व राजनैतिक इच्छाशक्ति को साबित करने में नाकाम रही हैं। अत: उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर बनेरहने का अधिकार पूरी तरह खो दिया है।

समिति ने इस बात का उल्लेख किया था कि बम्बई में तैनात सेना स्थिति से कड़ाई से नहीं निबट सकेगी और प्रमाणों से साबित हो गया है कि आर एस एस-भाजपा-विहिप जैसी सांप्रदायिक ताकतें व कांग्रेस (ई) का एक गुण्डा तबका सेना की मौजूदगी में भी अपनी भड़कानेवाली तथा अपराधिक गति-विधियाँ जारी रखे हुए है। पता चला है कि प्रशासनिक अड़चनों के कारण सेना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकी। इस बारे में राज्य सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकतीं।

समिति ने बम्बई के दंगों से प्रभावित व्यापक मजदूर इलाकों के बारे में विशेष रूप से चिन्ता प्रकट की है। ये सांप्रदायिक हिंसा न केवल संगठित मजदूर आंदोलन के लिए हानिकर है बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रक्षा के लिए किये जाने वाले संघर्ष के लिए भी घातक है। बम्बई में इंटक समेत सभी श्रम संगठनों द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए छेड़ा गया अभियान सराहनीय है। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और अधिक गंभीर प्रयास की आवश्यकता है।

प्रायोजक समिति ने केन्द्रीय सरकार से माँग की कि वह अपने संकीर्ण स्वार्थों की परवाह न करते हुए स्थिति से निबटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये। समिति ने मजदूर वर्ग से भी अपील की कि वह अपनी बुलंद आवाज उठाये तथा देश में सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा करने के लिए आगे आयें। तत्पश्चात्, समिति ने सभी श्रम संगठनों से अपील की कि वे सांप्रदायिकता के खिलाफ पहले से वितरित कार्यक्रम पर काम करें।

[पृष्ठ 3 का शेष]

प्रदान करेगी। हिटलर और मुसोलिनी ने सत्ता में आने पर यही किया था। क्या हमारी महिलाएं पुन: उस युग में जाना चाहती हैं। और तो और श्रीमती सिंधिया, ऋतभरा व आधुनिक सन्यासिन उमा भारती भी शायद उस सबसे सहमत नहीं होंगी क्यों न उनसे ही पाठ्य-पुस्तकों में लम्बे भाषण देने और भीड़ में 'जय श्रीराम' चिल्लाने के घर जाकर अपनी रसोई संभालने को कहा जाये ?

Book Post